उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-292/2015/3514जेएल/22-3-15-300(18)/2015

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2015

<u>वारण्ट</u>

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के सिद्धदोष बंदी सत्य नरायन तिवारी पुत्र श्री कल्पनाथ तिवारी को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 09-09-2015 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाय।

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

<u>संख्या-292/2015/3514जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-44588/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/1/2013, दिनांक 14-10-2015 के संदर्भ में।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in